

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (आर०ए०एस०)

कुदना नम्बर
445/2019

तारीख दायर
19-12-2019

तारीख फ़ैसला
29/11/2021

उनवान

महेन्द्रजी उन्न करीब 70 साल पुत्र श्री मामराज जाति अहीर साकिन भोजावास तह० तिजारा जिला
अलवर (राज०) —:: वादी


(ब नाम)

अमीलाल उन्न करीब 73 साल पुत्र श्री मामराज जाति अहीर साकिन भोजावास तिजारा जिला
अलवर (राज०) —:: प्रतिवादी

दावा इस्तकरासहक मय इन्द्राज दुरुस्ती वो हुक्मइम्तनाई
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिकी :-

आराजी हाल खसरा नम्बर 49 रकबा 0.10 है०, 91 रकबा 0.06 है०, 94 रकबा 0.07 है०, 416 रकबा
है०, 598 रकबा 0.25 है०, 603 रकबा 0.06 है०, 610 रकबा 0.04 है०, 615 रकबा 0.18 है० किता 8
0.77 है० में से 1/2 भाग, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.91 है० में से 1/2 भाग दर 0.53 है० खसरा
पर 372 रकबा 0.61 है० में से 1/4 भाग, 564 रकबा 1.20 है०, 565 रकबा 1.20 है०, 566 रकबा 1.21
567 रकबा 1.22 है० किता 4 रकबा 4.83 है० में से 1/8 भाग वाके ग्राम भोजावास तह० तिजारा जिला
अलवर पर प्रतिवादी अमीलाल के नाम दर्ज हिस्से पर 1/2 भाग पर वादी का नाम व 1/2 भाग पर
प्रतिवादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।


(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदवी सहायक कलेक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कोण कोठी
कम्प लोटे का स्थान - मुंडगा

राजीनामा पत्र

पीठासीन अधिकारी महोदय

दिनांक 29/11/2021

आगत

चन्दगा बंगला आनीलाल
संख्या - 447/17 अन्तर्गत फार 88, 89, 188

उक्त प्रकरण में पक्षी/वादी श्री चन्दगा पुंड भागराज
के कि उक्त समझौते का प्रकरण आपके न्यायालय में लंबित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच प्रस्तावित
वैयक्तिक हानि कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच समझौता करार हो चुके हैं।
हमारे आपसी राजीनामा निम्नानुसार था हुआ है -

- 49/0.10, 91/0.06, 94/0.07, 416/0.01, 598/0.25, 603/0.06,
- 610/0.04, 615/0.18, कुल कितना 8 रकबा 0.77 है में से 1/2 भाग
- 535/0.91 में से 1/2 भाग पर 0.53 है, 372/0.11 में से 1/4 भाग 564/1.20,
- 565/1.20, 566/1.21, 567/1.22 कितना 4 रकबा 4.83 है में से 1/8 भाग

वकिनासा मौजावास्त
उक्त राजीनामा से निवृत्त है कि हमारा राजीनामा समझौते का प्रकरण का निष्पत्ति करने की को

वादी पक्ष : म.लि. चन्दगा

1.

2.

3.

4.

अधिकारी पक्ष : म.लि. आनीलाल

1.

2.

3.

4.

पहचानकर्ता का हस्ताक्षर :

दिनांक : 29/11/2021

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(वादी पक्ष) : म.लि.

पक्षी/वादी द्वारा समझौते के रूप में राजीनामा पत्र किया गया है। राजीनामा को इबारत को चुन व समझौते का स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्तखाहिए पक्षकार तत्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल विषय पर

(80 सदस्य) (80 सदस्य) (80 सदस्य) (80 सदस्य) (80 सदस्य)

29/11/21
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलपट)